

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
क्रमांक:एफ4()परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/121५ जयपुर,दिनांक: 2५-06-20०7
प्रशासनिक स्वीकृति
(नये कार्यों के लिए)

“दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना” के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 1277 दिनांक 20.5.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-


- (अ) जिला:- बांसवाडा
(ब) गांव का नाम:- उमराई पंचायत का नाम:- उमराई पंचायत समिति:- बांसवाडा
(स) गांव के चयन की तिथि 18-1-2007

(राशि रु. लाखों में)

क.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
		कुल	DDUAGY मद से (90%)	दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%)
1	पुलिया निर्माण केवडिया	3.00	2.70	0.30
2	खरजा सडक मय नाली निर्माण उमराई ग्राम में 500 मी.	2.00	1.80	0.20
3	रा.प्रा.वि. कोठारा में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण	2.00	1.80	0.20
4	रा.प्रा.वि. भूरी तलाई में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण	2.00	1.80	0.20
5	पशुधन सहायक कार्यालय में आवास निर्माण	2.00	1.80	0.20
6	बस स्टेण्ड निर्माण उमराई	2.00	1.80	0.20
7	बस स्टेण्ड निर्माण उमराई पाडला,गामडी तिराहे पर	2.00	1.80	0.20
8	यात्री विश्राम गृह	4.50	4.55	0.45
9	आई.ई.सी.	0.50	0.50	-
	योग	20.00	18.05	1.95

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-


- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2-ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।


(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बांसवाडा
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बांसवाडा (बांसवाडा)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, उमराई पंचायत समिति, बांसवाडा (बांसवाडा)।


शासन सचिव एवं आयुक्त